न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला– सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री शान्ति लाल जैन आर.ए.एस

प्रकरण संख्या – 08/2024 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2024/18

उनवान

1. श्री नरेन्द्र पुत्र शंकरलाल खटीक, उम्र बालिग
2. श्रीमती सुरज पत्नी नरेन्द्र खटीक, उम्र बालिग

सभी निवासी खटीकवाडा, सलूम्बर, जिला सलूम्बर (राज.)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री गुलाबसिंह पिता वगतसिंह जी राजपुत उम्र बालिग, जाति राजपुत
2. श्री गोपालसिंह पिता वगतसिंह जी राजपुत उम्र बालिग, जाति राजपुत
3. श्री लालसिंह पिता वगतसिंह जी राजपुत उम्र बालिग, जाति राजपुत

निवासीयान सिंगावतपुरा सल्लाडा, तह. सराडा, जिला सलूम्बर (राज.)

4. श्रीमान् राज्य जरिये भूमीधारी तहसीलदार महोदय, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक : 26–03–2025

उपस्थितिः श्री राकेश प्रजापत अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री गेबीलाल मेहता अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 से 3 तक
पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर – विपक्षी संख्या 4

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा बस्सी झुंझावत, पटवार मण्डल बस्सी झुंझावत, भू.अ.नि. खेराड, तह. सलुम्बर में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि व विपक्षीगण संख्या 1 से 3 की भूमि पडौस में स्थित होकर प्रार्थीगण की भूमि खाता सं. 329–331 आराजी नम्बर 1875/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर स्थित है।

मौजा बस्सी झुंझावत के पूर्व खाता सं. 723 के आराजी नम्बर 1874 व 1875 कुल किता 2 रकबा 1.94 हैक्टेयर भूमि में सुरेश पिता मोगजी सालवी व प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित थी जिसका कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर होकर राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जिस पर प्रार्थीगण व सुरेश पिता मोगजी सालवी द्वारा आपसी सहमति के अनुसार उक्त कृषि भूमि का आपसी बंटवाडा कार्यालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा दिनांक 25–05–2012 को क्रमांक प. () राज/2011/198 दिनांक 25–05–2012 को आदेश हो गया जिस पर श्री सुरेश पिता मोगजी सालवी के आराजी नम्बर 1874 रकबा 0.28 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1875 मीन रकबा 0.70 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1875/2 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हैक्टेयर रहा व प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1875/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर रहा तथा वक्त बंटवाडा श्रीमान् तहसीलदार द्वारा उक्त बंटवाडे के अनुसरण में

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मौके पर नक्शा ट्रेस भी जारी किया गया, उक्त नक्शे ट्रेस के अनुरूप प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने अपने स्वामित्व के अनुरूप मौके पर काबिज है।

सुरेश पिता मोगजी सालवी ने उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 3 को हस्तान्तरित कर दी जो आराजी नम्बर 6991/1875 रकबा 0.25 हैक्टयर कृषि भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम आबादी दर्ज है। आपसी बंटवाडे के समय जारी किया गया नक्शा सही था परन्तु वर्तमान में उक्त नक्शे की तरमीम गलत होने से प्रार्थीगण की भूमि संकुचित होते हुये मौके पर नक्शे के अनुरूप रकबा कम हो गया, जिससे प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 सं 3 के मध्य विवाद की स्थिति बन गई है तथा विपक्षीगण उक्त गलत तरमीम का अनुचित लाभ लेने हेतु तत्पर है। वक्त् बंटवाडा जारी किये गये नक्शे ट्रेस के अनुरूप ही वर्तमान नक्शे की तरमीम सही की जावे, जिससे प्रार्थीगण अनावश्यक विवादो व कानुनी पैचिदगियों में फंसने से बच सके। केवल मात्र हाल राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण के हाल आराजी नम्बर 1875/1 की कृषि भूमि के नक्शें को सेहवन से विपक्षीगण के नक्शें में समायोजित कर दिया है। उक्त कृत्य तात्कालिक राजस्व कर्मचारियों व विपक्षियों के द्वारा सांठगांठ कर अपने धन व भुजबल के आधार पर परिवर्तित करवा दिया है। जिसे सही किया जाना आवश्यक होकर न्यायोचित है।

प्रार्थीगण के आराजी नं. 1875/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर कृषि भूमि के नक्शे की वास्तविक तरमीम कर मौके व राजस्व रिकार्ड में स्थित प्रार्थीगण के रकबे अनुसार नक्शें की तरमीम किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण के राजस्व रिकार्ड में उसे अपने रकबे के अनुसार नक्शा प्रदान हो सके। सेटलमेन्ट व राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त नक्शे के तरमीम नहीं होने की वजह से मौके पर प्रार्थीगण को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा न ही रकबे अनुसार नक्शा होने के चलते अन्य आसपास के अन्य खातेदारों से भी विवाद की स्थिति बनी रहती है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि निम्न आशय का आदेश प्रदान फरमाकर राजस्व भू–अभिलेख में प्रार्थीगण के खाते अमल दरामद के निम्न आदेश प्रदान फरमावे कलम संख्या एक में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी नं. 1875/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर को वक्त बंटवाडे के पश्चात् जारी किये गये नक्शें के अनुसार सही तरमीम कराया जाने का आदेश फरमाया जावे। तथा कलम संख्या एक में वर्णित प्रार्थीगण की आराजी नं. 1875/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर में यदि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 6991/1875, 1874, 1875 मीन, 1875/2 का नक्शा समायोजित हुआ हो तो उक्त तरमीम को सही करते हुये उपरोक्त नक्शे का सही अंकन कर प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1875/1 रकबा 0.75 हैक्टेयर में समायोजित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 ने पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त जवाब पेश कर अंकित किया कि– प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में मात्र पडौसी होना स्वीकार है, इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण कथन अस्वीकार है। प्रार्थीगण की भूमि कृषि होकर विपक्षीगण की भूमि आबादी में परिवर्तित होकर आबादी भूमि है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अस्वीकार है। प्रार्थी एवं सुरेश पिता मोगजी सालवी के के बीच हुए सहमति से बंटवाड की जानकारी व्रिपक्षीगण को नहीं है। स्वयं प्रार्थी साबित करावे। दिनांक 25–05–2012 को हुए आदेश की जानकारी एवं अन्य दस्तावेज एवं मौके पर काबिज होना प्रार्थी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करावे तथा उक्त कृषि भूमि पूर्व में सुरेश सालवी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के श्री मगनलाल सालवी को विक्रय की थी, कालान्तर में मगन लाल सालवी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के उक्त भूमि विपक्षीगण ने क्रय की थी इसलिये जब तक पूर्व स्वामीगण क्रमशः सुरेश सालवी एवं मगनलाल सालवी को उक्त प्रकरण में पक्षकार नही बनाया जाता तब तक प्रकरण जारी रखने योग्य नहीं होकर पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित होकर खारिज किये जाने योग्य है। वस्तुतः उक्त प्रार्थना

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पत्र की स्वयं प्रार्थीगण द्वारा उक्त कलम संख्या 2 में यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 25–05–2012 को सहमति से पूर्व सहस्वामियों के मध्य बंटवाडा विधिवत होकर सन् 2012 में ही नक्शा ट्रेस जारी कर दिया गया था तो ऐसी स्थिति में सेग्रीकेशन के समय किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाना स्पष्ट है क्योंकि 2012 के पूर्व से भी उक्त कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस जो कि उक्त भूमि के सभी सहस्वामियों का संयुक्त खातेदारी का था उसमें बदलाव किया गया था जिसका परिणाम सुरेश कुमार और प्रार्थीगण के बंटवाडे में आये आराजीयात का अलग अलग नक्शा बनना है जिस कारण पूर्व में नक्शे में सही तरीके से माप करके ट्रेस तैयार किया जाना दिखाई देता है, इसलिये इस कॉलम में प्रार्थीगण सक्षम साक्ष्य से अपने अभिवचनों को स्वयं साबित करावे।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अस्वीकार है। सुरेश सालवी ने श्री मगनलाल सालवी को विक्रय की उसके पश्चात् मगनलाल ने उक्त भूमि विपक्षीगण को विक्रय की है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त योग्य है उसके पूर्व विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि विधिवत तरीके से आबादी में मगनलाल द्वारा कन्वर्ट करवायी गई थी जो कि सेग्रीकेशन के भी काफी समय पूर्व करवाई गई थी जिस समय भी तत्कालीन पटवारी और सम्बन्धी रेवेन्यु अधिकारिगण द्वारा विधिवत दस्तावेजों का अवलोकन एवं मौके पर सीमा ज्ञान एवं भौतिक सत्यापन कर माप के अनुसार दस्तावेज यानि कि नक्शा आदि तैयार कर पत्रावली को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष पेश कर आबादी में परिवर्तन किया जाता है इसलिये त्रिस्तरीय व्यवस्था के पश्चात् जिसमें पुराने नक्शों ओर भौतिक सत्यापन के पश्चात् नये नक्शे के आधार पर आबादी भूमि का नक्शा तैयार किया जाता है जो कि विपक्षीगण के आबादी भूमि का नक्शा है जो सही है और जो कि सेग्रीकेशन के काफी पूर्व तैयार किया गया है और विधिवत रूप से धारा 136 एल.आर.ऐक्ट में मात्र सेग्रीकेशन के समय किसी नक्शे में या इन्द्राज में क्लियरीकल मिस्टेक को ही सुधार किया जा सकता है वह भी दोनों पक्षों की सहमति होने पर ही सम्भव है किन्तु उक्त प्रकरण में उक्त धारा की किसी भी शर्त को पुरा नहीं किया जा रहा है इसलिये सिर्फ इसी विषय पर कि उक्त इन्द्राज सेग्रीकेशन के समय का नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना कानुनी है। इस प्रार्थना पत्र के उक्त कलम में मात्र प्रार्थीगण एवं सुरेश के स्वामित्व की नक्शा ट्रेस जो पूर्व में जारी किया गया था उसमें और वर्तमान में प्रार्थीगण के स्वामित्व के नक्शे में तरमीम सहीं नहीं होना बताया गया है जबकि प्रार्थीगण एंव विपक्षीगण के स्वामित्व की भूमि जो कि पूर्व मालिक सुरेश की थी जिसे सुरेश ने मगनलाल को विक्रय कर दी थी जिसने बाद में विपक्षीगण को विक्रय कर दी थी जो कि विधिवत रूप से बंटवाडा होकर ही होना सम्भव थी इसलिये विपक्षीगण की आबादी की भूमि का नक्शा अलग बना है जो कि सेग्रीकेशन के काफी पहले का है और यदि भी प्रकार की भूमि प्रार्थी के नक्शें से कम हुई है तो उससे विपक्षीगण बाध्य नही है। उसे 136 एल.आर. एक्ट के तहत कोई राहत प्राप्त नहीं होगी और विधिवत घोषणा का वाद करना अनिवार्य है। विपक्षीगण अपने स्वामित्व की भूमि में नक्शें अनुसार सही तरमीम होकर काबिज है और विपक्षीगण एंव प्रार्थीगण के मध्य आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। आपसी बंटवाडे एवं आज की स्थिति के मध्य नक्शे में किसी प्रकार की कोई तरमीम में अन्तर नहीं आया है, ना ही सेग्रीकेशन के समय राजस्व कर्मचारियों ने सांठगांठ कर प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामितव की नक्शें में भूमि को कम कर नक्शा तरमीम किया है जो भी आरोप बिना किसी सबुत के सरकारी कर्मचारियों पर लगाये गये है वह गलत है। इसलिये ना तो उक्त धारा 136 एल.आर. एक्ट में यह प्रार्थना पत्र कवर होता है ना ही श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई का अधिकार नक्शे में तरमीम करने हेतु प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 अस्वीकार है। स्वयं प्रार्थी सलुम्बर में आयुर्वेदिक डिग्रीधारक होकर क्लिनिक का संचालन करता है और प्रार्थी द्वारा स्वयं उक्त कलम में विपक्षीगण का कब्जा और बाड आदि काफी समय पूर्व से होना स्वीकार कर रहा है ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट में कवर नहीं होकर सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र या वाद पेश कर राहत लेवे। विशेषतया यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उक्त कॉलम

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

में प्रार्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा प्रारम्भिक जांच करने पर विपक्षीगण द्वारा तात्कालीक बंटवाड नक्शे में फेर'बदल किया गया है जो अपने आप में स्पष्ट है कि सेग्रीकेशन के समय नक्शे में कोई फेरबदल नहीं किया गया है जो भी स्वीकृति के रूप में होकर प्रार्थना पत्र निरस्त करने योग्य है और राजस्व कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन के लगा दिया गया है जो डिलीट किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की राहत उक्त कॉलम में वर्णितशुदा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और राजस्व कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप बेबुनियाद होकर प्रार्थना पत्र से डिलीट किये जाने योग्य है। विकल्प में प्रार्थीगण सक्षम साक्ष्य से स्वयं साबित करावे। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6 अस्वीकार होकर निवेदन है कि विपक्षी संख्या 4 भूमिधारी होकर आवश्यक पक्षकार है उसकी अनुपस्थिति में मौके की और राजस्व रिकार्ड की सही सही दस्तावेजी एवं मौखिक जानकारी आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाती। पुनः विपक्षीगण को मिलीभगत से सेग्रीकेशन के समय नक्शे में तरमीम का आरोप या अभिवचन अस्वीकार है।

विपक्षी संख्या 1 से 3 ने विशेष कथन कर अंकित किया कि दिनांक 02–12–2024 को तहसीलदार साहब सलुम्बर द्वारा श्रीमान् एसडीओ साहब सलुम्बर को जरिये क्रमांक राजस्व / 2024 / 575 की जो जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई थी उसमें जो जानकारी दी गई है वह अधुरी होकर अपूर्ण है। दरअसल उक्त रिपोर्ट के अनुसार मात्र दो ही नक्शा ट्रेस शामिल पत्रावली किए गए है जबकि नियमानुसार भिन्न भिन्न समय पर जो भी नक्शा ट्रेस उक्त भूमि सम्बन्धी बनाये गये है वह सभी पत्रावली और जांच रिपोर्ट पर होना आवश्यक है, उनकी अनुपस्थिति में न्याय प्राप्त नहीं होगा। सन् 2012 से लेकर 2024 तक के बीच की अवधि में उक्त भूमि के कितनी बार भूपरिवर्तन हुआ और कितनी बार स्वामित्व में परिवर्तन हुआ, कौन–कौन स्वामी के रूप में स्थापित हुए तथा कितनी बार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के नक्शा ट्रेस भूमि की किस्म और मालिकाना हक बदलने के पश्चात् 2012 से 2014 तक की अवधि में परिवर्तित हुए थे इन अनुपस्थिति में मात्र यह अभिवचनित कर देना कि बंटवारे के समय और अभी हाल के नक्शे ट्रेस में परिवर्तन है। न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण जानकारी नहीं देने और गुमराह कर क्लीन हेण्ड से नहीं आने के बराबर माना जाकर प्रार्थीगण किसी भी राहत को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

इसके अतिरिक्त स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र जो कि दिनांक 20–09–2023 को उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर को पेश किया है जिसमें स्वयं प्रार्थी ने यह स्वीकार अपने अभिवचनों में किया है कि कृषि भूमि से कन्वर्ट (आबादी) के बाद नामान्तरण के समय तत्कालीन पटवारी / आर.आई. की गलती से नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त कन्वर्शन आबादी में विपक्षीगण की जो कि सेग्रीकेशन के काफी समय पूर्व हो चुका था उस समय यदि कोई गलत तरमीम नक्शें की हुई है तो वह 136 एल.आर. एक्ट के तहत कवर नहीं होता है और इसके अतिरिक्त उक्त प्रार्थना पत्र में स्वयं प्रार्थी ने मौके पर काफी समय पूर्व से विपक्षीगण का कब्जा व निर्माण स्वीकार किया है जिसकी भी राहत मात्र सम्बन्धित न्यायालय में वाद पेश कर कब्जेयाबी घोषणा बेदखली के तहत किया जाना कानूनी है। वस्तुतः इस 136 एलआर एक्ट की आड में प्रार्थी गैरकानुनी तरीके से न्यायालय को गुमराह कर राहत प्राप्त करना चाहता है जो किसी भी सुरत में सम्भव नहीं है और स्वयं प्रार्थी अलग अलग समय अलग अलग प्रार्थना पत्र में अलग अलग वर्णन अभिवचनित कर रहा है जो भी इस बात की ओर ईशारा करता है कि प्रार्थी क्लीन हेण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है और जो क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आता है वह किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होकर प्रार्थना पत्र सव्यय

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

निरस्त योग्य है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में चाही गई तमाम राहत (दाद) अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर हाजिर रहे जिन्होने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की बिन्दु संख्या 01 का जवाब स्वीकार है। कॉलम संख्या 2 के उक्त बंटवाडा अनुसार नामान्तरण में चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी का हिस्सा 0.80 है० दर्ज है। जबकि बंटवाडा फेहरिस्त अनुसार 0.75 है० भूमि दर्ज है। शेष वादी स्वयं साबित करें।

प्रार्थी नियमानुसार 0.75 है० भूमि चाहता है लेकिन सेग्रीकेशन के समय नक्शे में तरमीम के समय 0.75 है० नहीं होकर 0.67 है० भूमि तरमीम किया गया है। नामान्तरण में चस्पा नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा सीट का मिलान करने पर उक्त जानकारी पाई गई, शेष वादी स्वयं साबित करें। नक्शे में तरमीम की शुद्धि हेतु श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर तरमीम की शुद्धि किया जाना है, शेष वादी स्वयं साबित करें। प्रार्थी नियमानुसार 0.75 है० भूमि चाहता है लेकिन सेग्रीकेशन के समय नक्शे में तरमीम के समय 0.75 है० नहीं होकर 0.67 है० भूमि तरमीम किया गया है। नामान्तरण में चस्पा नक्शा ट्रेस एवं हाल नक्शा सीट का मिलान करने पर उक्त जानकारी पाई गई, शेष वादी स्वयं साबित करें। अतः तरमीम शुद्धि किया जाना उचित होकर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है।

प्रकरण में उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि–मौजा बस्सी झुंझावत के पूर्व खाता सं. 723 के आराजी नम्बर 1874 व 1875 कुल किता 2 रकबा 1.94 हैक्टेयर भूमि में सुरेश पिता मोगजी सालवी व प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि स्थित थी जिसका कुल रकबा 1.94 हैक्टेयर होकर राजस्व रिकार्ड में अंकित थी जिस पर प्रार्थीगण व सुरेश पिता मोगजी सालवी द्वारा आपसी सहमति के अनुसार उक्त कृषि भूमि का आपसी बंटवाडा कार्यालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा दिनांक 25–05–2012 को क्रमांक प.() राज / 2011 / 198 दिनांक 25–05–2012 को आदेश हो गया जिस पर श्री सुरेश पिता मोगजी सालवी के आराजी नम्बर 1874 रकबा 0.28 हैक्टेयर आराजी नम्बर 1875 मीन रकबा 0.70 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1875 / 2 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.19 हेक्टर रहा व प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 1875 / 1 रकबा 0.75 हैक्टेयर रहा तथा वक्त बंटवाडा श्रीमान् तहसीलदार द्वारा उक्त बंटवाडे के अनुसरण में मौके पर नक्शा ट्रेस भी जारी किया गया, उक्त नक्शे ट्रेस के अनुरूप प्रार्थीगण व विपक्षीगण अपने अपने स्वामित्व के अनुरूप मौके पर काबिज है। आराजी नम्बर 6991 / 1875 रकबा 0.25 हेक्टर कृषि भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम आबादी दर्ज है। आपसी बंटवाडे के समय जारी किया गया नक्शा सही था परन्तु वर्तमान में उक्त नक्शे की तरमीम गलत होने से प्रार्थीगण के हाल आराजी नम्बर 1875 / 1 की कृषि भूमि के नक्शें को सेहवन से विपक्षीगण के नक्शें में समायोजित कर दिया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण की आराजी नं. 1875 / 1 रकबा 0.75 हैक्टेयर को वक्त बंटवाडे के पश्चात् जारी किये गये नक्शें के अनुसार हाल नक्शे मे सही तरमीम कराया जाने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 तक ने बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी नम्बर 6991 / 1875 रकबा 0.25 हैक्टेयर कृषि भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम आबादी दर्ज है। श्री सुरेश पिता मोगजी सालवी ने कभी भी उक्त भूमि को यानि कि सुरेश के स्वामित्व की भूमि को सीधे ही सुरेश ने विपक्षीगण को विक्रय नहीं की है। उक्त जानकारी गलत है बल्कि सुरेश सालवी ने श्री मगनलाल सालवी को विक्रय की उसके पश्चात् मगनलाल ने उक्त भूमि विपक्षीगण को विक्रय की है। इस कारण भी प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त योग्य है उसके पूर्व विपक्षीगण द्वारा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

उक्त भूमि विधिवत तरीके से आबादी में मगनलाल द्वारा कन्वर्ट करवायी गई थी। विपक्षीगण अपने स्वामित्व की भूमि में नक्शें अनुसार सही तरमीम होकर काबिज है और विपक्षीगण एंव प्रार्थीगण के मध्य आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है। आपसी बंटवाडे एवं आज की स्थिति के मध्य नक्शे में किसी प्रकार की कोई तरमीम में अन्तर नहीं आया है, ना ही सेग्रीकेशन के समय राजस्व कर्मचारियों ने सांठगांठ कर प्रार्थीगण के आधिपत्य एवं स्वामितव की नक्शें में भूमि को कम कर नक्शा तरमीम किया है जो भी आरोप बिना किसी सबुत के सरकारी कर्मचारियों पर लगाये गये है वह गलत है। आराजी नम्बर 6991 / 1875 रकबा 0.25 हैक्टेयर आबादीशुदा भूमि के विपक्षी सं. 1 से 3 के खाते की है, जिसे रकबे अनुसार विपक्षीगण के नक्शे मे रखते हुए शुद्धि की जाती है तो विपक्षीगण को कोई एतराज नही है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। पेरोकार सरकार तहसीलदार सलूम्बर की बहस अपने जवाब अनुसार रही।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी मे आराजी नम्बर 1875 / 1 रकबा 0.75 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम तथा आराजी नम्बर 6991 / 1875 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 के नाम दर्ज अंकित है। तहसीलदार जवाब से यह तथ्य स्वीकार किया है कि सेग्रीगेशन के समय नक्शे में तरमीम के समय प्रार्थीगण के नक्शे में 0.75 हैक्टेयर नहीं होकर 0.67 हैक्टेयर तरमीम किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध बटवाडा पूर्व नक्शा, वक्त बंटवाडा जारी किये गये नक्शे ट्रेस व बाद के नक्शे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण के खाते की 0.75 हैक्टेयर भूमि रकबे अनुसार वक्त बंटवाडा जारी किये गये नक्शे अनुरूप नक्शे मे अंकित नही किया गया है जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। विपक्षीगण ने बहस के दोरान रकबे अनुसार नक्शे शुद्धि किये जाने पर सहमती जताई है। अतः तहसीलदार जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से हाल नक्शे मे रकबे अनुसार एवं वक्त बटवाडा जारी नक्शे अनुरूप तरमीम नही होना जाहिर होता है जिसे हाल नक्शा शीट मे शुद्धि किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर हाल मौजा बस्सी झुंझावत पटवार हल्का बस्सी झुंझावत भू.अ.नि. खेराड मे स्थित विपक्षीगण के आराजी नम्बर 6991 / 1875 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि रकबे अनुसार नक्शे मे अंकित करते हुए प्रार्थीगण की आराजी नं. 1875 / 1 रकबा 0.75 हैक्टेयर भूमि का वक्त बंटवाडे के पश्चात् जारी किये गये नक्शें के अनुसार सही तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय दिनांक **26–03–2025** को सरेइजलास सूनाया गया।
प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शान्ति लाल जैन RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला सलूम्बर

कलेक्टर सलूम्बर ... सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)